प्रेषक,

वित्त नियंत्रक,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
पशुपालन विभाग,
लखीमपुर-खीरी/सिद्धार्थनगर/श्रावस्ती/बिजनौर/बलरामपुर/सोनभद्र ।

संख्या:- /बजट/29(5)/अनु0-81/01/2018-19 दिनांक- 5-5-18

विषय:- गायों/भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा वैफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना(जि0यो0)अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये लेखानुदान अवधि हेतु धनराशि का आवंटन ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पशुधन अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-68/2018/1576/सैंतीस-2-2018-1(17)/05, दिनांक 01-05-2018 द्वारा **43-सामग्री एवं सम्पूर्ति** मद में **रू0** 600000.00 **(रू0 छः लाख मात्र)** की धनराशि शासन द्वारा सीधे व्यय हेतु आपको ऑवटित की गई है,को चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये संलग्न एलामेन्ट ग्रिड रिर्पोट के अनुसार शासनादेश में उल्लिखित शर्तो के अधीन व्यय हेतु ऑवटित की जाती है। शर्तो से विचलन की दशा में सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे ।

(1) ऑवटित की जा रही धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु जिला योजनाओं के जनपदवार/योजना वार परिव्यय निर्धारण के उपरान्त उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि को ऑवटित परिव्यय में समायोजित कराते हुए यथावश्यकता संबंधित जनपदों की जिला योजना समिति का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय,यह भी सुनिश्चित किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व योजनाधिकारी अपर निदेशक,ग्रेड-1,(गो0वि0),मु0 एवं निदेशक,प्रशासन एवं विकास,पशुपालन विभाग,उ0प्र0,लखनऊ का होगा ।

(2) ऑवटित की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018,दिनांक 30-03-2018 में अंकित निर्देशों तथा शा0सं0-बी-1-1195/दस-16/94,दि0 06-06-1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय ।

(3) ऑवटित धनराशि का व्यय/उपयोग योजना आयोग,भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस.सी.एस.पी./टी.एस.पी. हेतु निर्धारित मानकों एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार ही किया जायेगा ।

(4) मानक मद 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति मद में ऑवटित धनराशि से प्रथमतः उ0प्र0पशुधन विकास परिषद के तरल नत्रजन एवं सीमेन स्ट्राज के लम्बित बीजकों का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा ।

(5) योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का कय उ0प्र0भण्डार कय नियमावली तथा वित्त विभाग/सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों एवं शासन द्वारा निर्धारित विभागीय कय नीति का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय।

(6) ऑवटित धनराशि का व्यय/उपयोग योजना उसी प्रयोजन/मद में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि ऑवटित की जा रही है। इससे इतर व्यय अनियमितता होगी,जिसका समस्त उत्तरदायित्व संबंधित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी का होगा ।

(7) किसी भी दशा में ऑवटित धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय तथा आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय ।

(8) उक्त धनराशि का आँवटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है जिन मामलों में उ.प्र.बजट मैनुअल और सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत शासन अथवा निदेशक,रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र,पशुपालन विभाग की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में संबंधित आ0वि0अ0 द्वारा ऐसी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही धनराशि का आहरण/व्यय किया जाय ।

(9) वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ण तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय ।

(10) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-81 के अधीन लेखाशीर्षक- ''2403-पशुपालन-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-04-गाय और भैसों में कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन सुविधा एवं विस्तार तथा वैफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराना (जि0यो0)-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति '' के नामे डाला जायेगा ।

(11) आँवटित की जा रही धनराशि की प्रविष्टि क्रम सं0-01 (अनु0-81) पर अंकित कर ली गई है ।

संलग्नक: यथोपरि ।

भवदीय,

(नरेन्द्र प्रताप सिंह)
वित्त नियंत्रक।

संख्या:- 36 /बजट/29(5)/अनु0-81/01/2018-19,तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, लखीमपुर-खीरी/सिद्धार्थनगर/श्रावस्ती/बिजनौर/बलरामपुर/सोनभद्र ।

2- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी-1, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

3- अनुसचिव, पशुधन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ ।

4- योजनाधिकारी अपर निदेशक (गो0वि0) मु0 को इस आशय से प्रेषित कि शासन द्वारा आँवटित धनराशि को कोषागारों को ऑनलाइन आँवटित कर दिया गया है। कृपया परिव्यय/व्यय के संबंध में संबंधित आ0वि0अ0 को आवश्यक दिशा-निर्देश अपने स्तर से देने का कष्ट करें ।

5- संयुक्त निदेशक (नियोजन),मुख्यालय ।

6- कम्प्यूटर सुपरवाइजर,मु0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आँवटन को वेवसाइड पर फीड करने का कष्ट करें ।

7- व्यय सहायक,बजट अनुभाग,मुख्यालय ।

(नरेन्द्र प्रताप सिंह)
वित्त नियंत्रक।

Print Report

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2018-2019
आवंटन दिनांक-05/05/2018

प्रेषण संख्या:- 36
आवंटन आदेश संख्या:- 001-29-5-ANU-81-01-2018-19
अनुदान संख्या:- 81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)(वित्तीय वर्ष 2018-2019 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2403 - पशु पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
04 - गाय और भैसो में कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन सुविधा एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन सुविधायें उपलब्ध कराना (जिला योजना)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	योग
1	बिजनौर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	92000 92000	92000 92000
2	लखीमपुर खीरी-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	132000 132000	132000 132000
3	सिद्धार्थनगर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	92000 92000	92000 92000
4	सोनभद्र-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	92000 92000	92000 92000
5	बलरामपुर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	100000 100000	100000 100000
6	श्रावस्ती-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी , --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रगामी	92000 92000	92000 92000
	योग	वर्तमान प्रगामी	600000 600000	600000 600000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया छः लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया छः लाख

(नरेन्द्र प्रताप सिंह)
वित्त नियंत्रक
G4.8